मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन "छिन्दवाड़ा जिले के विशेष सन्दर्भ में"

जेनेथ कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

सारांश
मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन "छिन्दवाड़ा जिले के विशेष सन्दर्भ में" गहन शोध एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। लाभार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से मौखिक साक्षात्कार एवं गहन पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायती राज के संबंध में जितनी भी योजनायें संचालित की जा रही हैं उनका पूरा लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा हैं। योजनाओं से संबंधित राशि शासन द्वारा लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीकृत की जा रही है किन्तु बीच में कुछ अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा राशि का गबन एवं अन्य प्रकार से छल–कपट कर संपूर्ण राशि लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रही है। अतः शासन को अपने उच्च अधिकारियों को आदेशित कर योजना का सही रूप से आर्थिक क्रियान्वयन करने के निर्देश प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को पूरा लाभ मिल सके। साथ प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन के माध्यम से लाभार्थी तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाना चाहिए एवं योजनाओं से लाभ लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया जाये ताकि ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति भी आसानी से उनका लाभ ले सके। इस शोध पत्र में पंचायती सत्र संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का इन्हीं संदर्भों में अध्ययन किया गया है।

विशेष शब्द **:–** पंचायती राज की योजनाएं, संबंधित लाभार्थी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत

I प्रस्तावना

भारत में प्रारंभिक काल से ही गांव पंचायत अथवा इसी प्रकार के अन्य नाम से संबोधित संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। आदिकाल में ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख मिलता हैं। पंचायती राज्य की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिलता हैं अर्थात् परमात्मा पांच पंचों में बोलता है। इसका अर्थ यह है कि पॉच पंचों का फैसला भगवान का फैसला होता है।

देश आजाद होनें के बाद फिर से ग्राम पंचायतों की स्थापना की गयी, भारत के संविधान में पंचायतराज का महत्व स्वीकार किया गया। भारत सरकार द्वारा गठित की गयी बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1975 में तीन स्तर की पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी। ये तीन स्तर इस प्रकार थे –
(क) ग्राम स्तर पर ग्राम व्यवस्था
(ख) विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं
(ग) जिला स्तर पर जिला पंचायत

संपूर्ण भारत में सामान्य रूप से एक जैसी पंचायतराज व्यवस्था लागू करनें के लिये लोकसभा में दिनांक 22 सितम्बर 1992 को 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ।

II उद्देश्य

प्रस्तुत शोध प्रबंध के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं ग्रामीण नागरिक को प्राप्त हो और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना को जाग्रत करना है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिला पंचायतों, विकासखण्डों व ग्राम पंचायतों के अंतर्गत इन हितग्राहियों को पहुंचायी गयी आर्थिक सहायता, प्राप्त अनुदान और उनके भौतिक परिसम्पत्तियों के विस्तार के व्यापक अवसर जो उन्हें प्राप्त हो चुके है, को पता लगाना है। इन पर विभिन्न अनुसंधान कार्य समवर्ती मूल्यांकन के रूप कराऐ जाते रहें है जिनके माध्यम से विकास योजनाऐं और उनके कार्यों की सफलता व प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया जाता रहा है। विभिन्न शोध संस्थाओं व विश्वविद्यालयों के द्वारा इन योजनाओं के मूल्यांकनों के लिए अनेक क्षेत्रीय संवेक्षण भी कराये गए है।

इस शोध प्रबंध का सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि छिन्दवाडा जिला म.प्र. का एक पिछडा हुआ जिला है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति (34.47 प्रतिशत) व अनुसूचित जनजाति (12.20 प्रतिशत) वर्ग की बाहुल्यता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण नागरिकों को प्राप्त हो इस उद्देश्य से योजनाओं के कार्यों तथा आय व्ययों का मूल्यांकन एवं उसके अध्ययन का प्रमाण मेरे द्वारा किया गया है। सामान्यतः किसी विशेष विषय पर किया गया शोध कार्य परिकल्पनाओं पर आधारित होता है जिसमें व्यवस्थित प्रासंगिक वस्तु परक तथा सर्वेक्षण से एक नया अनुभव सिद्ध होता है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को पूर्ण करने के अनेक उद्देश्य है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न है–
(क) गरीब ग्रामीण वर्ग के लिए सुविधाओं की वृद्धि हेतु प्रभावशाली कार्यनीति की आवश्यकता का अध्ययन।

(ख) म.प्र. शासन द्वारा पंचायती राज में प्रदत्त वित्तिय सुविधाओं का उपयोग प्रक्रिया का अध्ययन करना।

(ग) मध्यप्रदेश मे पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कार्यान्वित पंचायतीराज कार्यक्रम में आये परिवर्तन का अध्ययन।

(घ) शासन के द्वारा हितग्राहियों को प्रदत्त सुविधाओं, अनुदानों से हुए प्रगति के समंकों का संकलन कर उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन करना।

(च) शोध प्रश्नावली का निर्माण कर समंकों का संकलन करना।

(छ) सर्वेक्षण पर आधारित प्राथमिक समंकों का संपादन करना और वित्तियक समंको के माध्यम से अध्ययन हेतु उपयोग करना।

(ज) संकलित समंको का संपादन, निर्वाचन एवं विश्लेषण करना।

(झ) पंचायती राज कार्यक्रम की विभिन्न ऋण योजनाओं संबंधी प्राथमिक प्रशासकीय संरचना, कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ट) विभिन्न ऋण योजनाओं की संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था की समीक्षा कर उपयोगिता में वृद्धि करने हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करना।

(ठ) पंचायती राज कार्यक्रम की योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीण व कृषकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति एवं ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन में लाने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना व उनका निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छुपे हुए सत्य को खोजते हेतु लघु शोध प्रबंध के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं की कार्यप्रणाली एवं कार्य के माध्यम से लाभांन्वित विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों के परिवारों का गहन सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

III शोध परिकल्पना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के अंतर्गत प्रदत्त वित्तिय सुविधाओं, अनुदानों एवं ऋण योजनाओं से विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति अवश्य हुई है किन्तु आज भी अनेक कमियां है। निर्धन ग्रामीण वर्ग पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का सही लाभ नही उठा पा रहें है, इसके विपरित धनी वर्ग इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए इसका गलत उपयोग भी कर रहें है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं की आय–व्यय की जानकारी की परिकल्पना होना स्वाभाविक है, ताकि ग्रामीण निर्धन वर्ग की समस्याओं का समाधान करनें एवं सभी वर्गों के हितग्राहियों को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित की जा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध प्रबंध का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में शोधकर्ताओं मे निम्नलिखित परिकल्पना को दृष्टि में रखकर शोध कार्य प्रारंभ किया है–

(क) गरीब ग्रामीण हितग्राहियों को आने वाली समस्याओं का पता लगाना।

(ख) इन योजनाओं को लागू करने में आने वाली समस्याओं का पता लगाना।

(ग) अनावश्यक अपव्यय,दोषपूर्ण रवैयें और अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याओं के दोष को उजागर करना।

(घ) पंचायतीराज संस्थाओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं के गरीब ग्रामीण हितग्राहियों के संपर्क स्थापित कर व्यावहारिक समस्याओं का पता लगाना।

(च) पंचायती राज सुविधाओं की मूलभूत समस्याओं, प्रशासनिक समस्याओं एवं अन्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।

IV संदर्भित विषय में पूर्व शोध साहित्य

छिन्दवाडा जिले के मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन "छिन्दवाड़ा जिले के विशेष सन्दर्भ में" विषय पर छिन्दवाड़ा जिले में अभी तक अधिक शोध कार्य नहीं हुए हैं। मेरे द्वारा जिला पंचायत कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय में गहन पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि संदर्भित विषय में अभी तक कई दिनों से कोई शोध कार्य नहीं किया गया है एवं पूर्व में कुछ शोध कार्य हुये हैं। लेकिन वे भी संदर्भित योजनाओं के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर पाये हैं एवं उनमें व्यापक स्तर पर कमियां पाई गई हैं। संदर्भित विषय में नवीन शोध कार्य की आवश्यकता इस कारण भी महसूस की गई ताकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक किया जा सके। एवं इन योजनाओं का वास्तविक रूप से लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को मिल सके। इसी संदर्भ में एक गहन शोध की आवश्यकता हुई एवं मेरे द्वारा संदर्भित विषय में शोध कार्य किया जा रहा है।

V शाध प्रविधि एवं क्षेत्र

भारत एक विकासशील देश है, जिसकी अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् पंचायतीराज व्यवस्थाओं के अधीन छिन्दवाडा जिले में अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नागरिकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार किया जा सकें। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण व क्षेत्रीय नागरिकों के लिए अनेक योजनाऐं प्रारंभ की गयी एवं अब तक इस उद्देश्य पूर्ति के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाऐं लागू किये गये है। इन कार्यक्रमों व योजनाओं को अलग–अलग राज्यों से लागू किया गया है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण व निर्धन व्यक्तियों का जीवन स्तर उंचा उठ सकें, इस उद्देश्य से से अनेक योजनाओं को लागू किया गया।

छिन्दवाडा जिले मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के हित मे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी योजनाओं में लाभान्वित नागरिकों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध ''छिन्दवाडा जिलें मे पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन'' को शोध समस्या के रूप में चयनित किया गया है। भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है, जिसके जीवन स्तर को उंचा उठाने हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सदैव विशेष प्रयास किये जाते रहें है। जैसे कृषि को बढावा देना,वैज्ञानिक तकनीक से कृषि कार्य करना, उन्नत बीज

व कृषि क्षेत्र में जल संग्रहण व सिंचाई की व्यवस्था आदि करना। इन सभी सुविधाओं के बावजूद भी कृषि क्षेत्र पूर्णता और संमृद्धि प्राप्त नही कर सका क्योंकि कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याऐं जन्म लेती है। ग्रामीण महाजनों (साहूकारों) और सूबेदारों द्वारा किसानों व निर्धनों का शोषण, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि, छोटे कृषकों का भूमिहीन होना, वैज्ञानिक तकनीक का अभाव आदि इसकी प्रमुख समस्याऐं है।

VI शोध उपकरण एवं सांख्यिंकीय तकनीक

आमदानी के स्त्रोत और अंकेक्षण– पंचायतों की आमदानी के स्त्रोंत निम्नलिखित है–

(क) राज्य सरकार द्वारा दी गयी सम्पत्ति या अनुदान– राज्य सरकार कुछ शर्तों और नियमों के साथ कुछ सम्पत्ति या धनकर ग्राम पंचायत को दे सकती हैं तथा उसे वापस भी ले सकती है। इन सम्पत्ति या धनराशि के लिए ग्राम पंचायत को अलग से कुछ प्रतिकर नही देना होगा। ग्राम पंचायत को राज्य की ओर से सहायता अनुदान भी मिल सकता है। अनुदान की यह राशि बचत वित्त आयोग की सिफारिशो कें आधार के आधार पर निश्चित की जाएगी। भू–राजस्व और भू–उपकर की राशि नियमानुसार ग्राम पंचायत को दी जायेंगी।

(ख) पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर और फीस– पंचायत को कुछ ऐसे कर, पथकर लगाने तथा फीस लेने का अधिकार है, जिसे वह उचित समझें। इसमे कुछ कर और फीस का विवरण इस प्रकार है–

(i) **अनिवार्य कर**

- **सम्पत्ति कर–** उन भूमियों और भवनों पर जिनका पूंजी मूल्य जमीन के मूल्य को मिलाकर छः हजार रूपयों से अधिक हो उन पर संपत्ति कर लगेगा। निम्नलिखित भवनों पर संपत्ति कर नही लगता है संघ, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के भवनों और जमीनों पर पूरी तरह धर्म के या शिक्षा के लिए उपयोग में लाने वाले भवनों या जमीनों पर या उन पर बनें बार्डिंग हाउसों पर।
- **सफाई कर–** निजी शौचालय पर सफाई कर तब देना पडता है जब उनकी सफाई की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जाती है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, उनके रख–रखाव तथा कूड़ा–कचरा हटाने के लिए भी सफाई कर देना होगा।
- **प्रकाश कर–**यदि पंचायत द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की गयी है तो प्रकाश कर देना होगा।
- **वृत्ति कर अथवा व्यवसाय कर–** पंचायत क्षेत्र की सीमा के अंदर व्यापार कर आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों को वृत्ति कर देना होगा।

(ii) **वैकल्पिक कर–**

- **जल कर–** जहां पंचायत द्वारा नियमित जल प्रदान किया जाता है वहां जल कर लगेगा।
- **पशुओ पर कर–** सवारी के काम आने वाले और बोझा ढोने वाले पशुओं पर लगने वाला यह कर उनके मालिकों द्वारा दिया जाता है।
- **सवारी कर–** पंचायत क्षेत्र की सीमा के अंदर किराए पर चलने वाली बैलगाडियों, साईकिलों, रिक्शों पर कर लगेगा।
- **मंडी शुल्क–** मंडी क्षेत्र को छोडकर ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्दर कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत मंडी में लेन–देन, आढ़तिया व नापतौल का काम करने वाले व्यक्तियों को यह कर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आम जनता के उपयोग के लिए किए गए किसी विशेष काम पर अस्थाई कर देना होगा।
- **फीस–** ग्राम पंचायत के या उसके अधीन किसी बाजार में बेचे गए पशुओं की रजिस्ट्री फीस। धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, वधशालाओं और पड़ाव के स्थान के उपयोग की फीस।

(ग) जिला पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाऐं

अ. इंदिरा आवास योजना– मानव जीवन के लिए आवास बुनियादी आश्यकताओं में से एक है! एक आम नागरिक के पास अपने आवास का होना, उसे आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

(घ) हितग्राही चयन प्रक्रिया

हितग्राही का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है! प्राथमिकता के अनुसार मुक्त बंधुआ मजदुर, प्रताडित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, विधवा और अविवाहित महिला का चयन किया जाता है! प्राकृतिक आपदाओं जैसे – बाढ, भूकम्प, आग आदि से पीडित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार और गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे सामान्य वर्ग के परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते है!

तालिका क्रमांक – 01
इन्दिरा आवास योजना .नवीन

क्र.	जिला	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति राशि लाख में
1	छिन्दवाडा	2007–08	1656	579.6
2	छिन्दवाडा	2008–09	1431	500.8
3	छिन्दवाडा	2009–10	2493	872.5
4	छिन्दवाडा	2010–11	1956	782.5
5	छिन्दवाडा	2011–12	1962	882.9

स्त्रोतः जिला पंचायत छिंदवाडा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2011–12

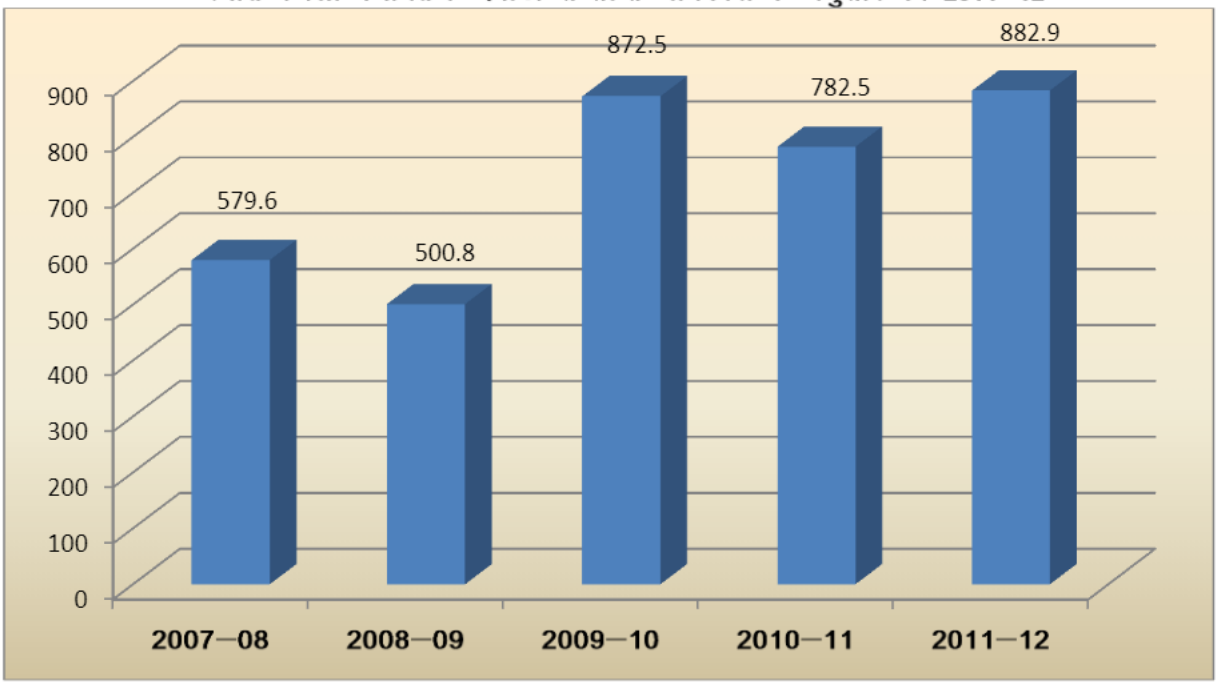

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 5.01 से स्प– होता है कि विगत कुछ वर्षो की तुलना में वर्ष 2011–12 में इंदिरा आवास योजना नवीन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति मे सरकार सफल रही!

(च) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निर्धनों के स्वरोजगार के लिये चल रहा एक प्रमुख कार्यक्रम हैं! इस कार्यक्रम को 01–04–1999 से पूर्व समेकित ग्रामीण विकास कायक्रम और दस लाख कुँओं की योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत औजार किटों की आपूर्ति तथा गंगा कल्याण योजना नामक इसके सहायक कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने के बाद शुरू किया गया था।

तालिका क्रमांक – 02
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

वर्ष 2006–07		
लक्ष्य	श्राशि (रूपये में)	680.0
समूह	संख्या	177.0
	राशि	663.0
व्यक्तिगत स्वरोजगार	संख्या	231.0
	राशि	106.0
	कुल राशि	769.0
वर्ष 2007–08		
लक्ष्य	राशि (रूपये में)	852.0
समूह	संख्या	199.0
	राशि	798.0
व्यक्तिगत स्वरोजगार	संख्या	385.0

	राशि	181.5
	कुल राशि	979.5
वर्ष 2008–09		
लक्ष्य	राशि (रूपये में)	1105.0
समूह	संख्या	133.0
	राशि	524.6
व्यक्तिगत स्वरोजगार	संख्या	1610.0
	राशि	854.0
	कुल राशि	1378.0
वर्ष 2010–11		
लक्ष्य	राशि (रूपये में)	1105.0
समूह	संख्या	210.0
	राशि	867.0
व्यक्तिगत स्वरोजगार	संख्या	1204.0
	राशि	614.0
	कुल राशि	1481.0
वर्ष 2011–12		
लक्ष्य	राशि (रूपये में)	1364.0
समूह	संख्या	253.0
	राशि	1130.0
व्यक्तिगत स्वरोजगार	संख्या	977.0
	राशि	584.0
	कुल राशि	1715.0

स्त्रोतः जिला पंचायत छिन्दवाड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2011–12.

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 5.02 से स्पष्ट होता है कि विगत् कुछ वर्षों की तुलना में वर्ष 2011–12 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत् जो राशि आबंटित की गई थी। जिससे सरकार अपनी योजना में सफल रही।

VII निष्कर्ष समस्या एवं सुझाव

(क) जिले में आर्थिक विकास सम्बंधी समस्याऍं

पंचायतीराज व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संस्थाओं के संचालन के दौरान आर्थिक विकास संबंधी अनेक समस्याऍं दृष्टिगोचर होती है। ये आर्थिक समस्यायें इस प्रकार है।

(i) वित्तीय संस्थाओं की अपर्याप्तता की समस्या
(ii) सत्ता के विकेन्द्रीकरण की समस्या
(iii) अशिक्षा एवं निर्धनता की समस्या
(iv) दलगत राजनीति की समस्या
(v) लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं प्रोत्साहन संबंधी समस्या
(vi) ऋण प्राप्ति की जटिल प्रक्रियॉ की समस्या
(vii) सहकारी समितियों के निर्माण एवं स्थापना की समस्या
(viii) धन की समस्या

(ख) समस्याओं के प्रस्तावित समाधान

पंचायतीराज की व्यवस्थाओं में विद्यमान विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि पंचायतीराज लागू करने का प्रमुख उद्देश्य पूरा हो सके, नहीं हो यह व्यवस्था केवल एक सपना बनकर रह जायेगी। अतः इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव इस प्रकार हो सकते है जिनके माध्यम से यह व्यवस्था सार्थक सिद्ध होगी –

(i) ग्रामीण बैंकों की स्थापना
(ii) साहूकारों के ऋण देने पर प्रतिबंध
(iii) भूमि विकास बैंकों के अधिकारों में कटौती
(iv) राजस्व का पुनर्विनियोग
(v) सैडडेम (स्टाप डेम) के निर्माण की प्रक्रियॉ में परिवर्तन

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें एवं अधिनियम

[1] ''भारत 2005'' प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

[2] ''इयर बुक–2005'' किरण प्रकाशन प्रा.लि. दिल्ली – 2005

[3] म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन प्रमिला कुमार म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल–2005

[4] ''सामान्य अध्ययन'' राजमाला एवं संस्कृति संचालनालय, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म. प्र) 2005

[5] म.प्र. संपूर्ण अध्ययन– 2005 उपकार प्रकाशन आगरा–2

[6] Research methodology & systems Analysis Prabkar V.K.Anmol publications, pvt. Ltd. New Delhi- 2001

[7] सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी मुखर्जी रवीन्द्रनाथ, विवेक प्रकाशन

पत्रिकाएं

[1] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश (प्रशिक्षण पत्रिका)

[2] विभागीय योजना संबंधी वेबसाइट

[3] जिला पंचायत छिन्दवाड़ा द्वारा आयोजित कार्यशाला पत्रिकाएं

[4] मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित योजनाओं संबंधित पत्रिकाएं एवं दिशा निर्देश

[5] जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के माध्यम से प्राप्त जानकारी

[6] योजना पत्रिका

[7] दैनिक भास्कर, हरि भूमि एवं पत्रिका समाचार पत्र एवं इन्टरनेट